संख्या-2/2020/15/20/95-का-4-2020

प्रेषक,

मुकुल सिंघल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

सेवा में,

1- समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन ।

2- समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश ।

कार्मिक अनुभाग-4 **लखनऊ:: दिनांक :: 31 जनवरी, 2020**

विषय:- उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को, समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना ।

महोदय,

उपर्युक्त के संबंध में सचिव, उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या-178/6/ई-1/2019-20, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 एवं पत्र संख्या- 29/6ई-1/2019 दिनांक 16 जनवरी, 2020 के क्रम के शासन के समसंख्यक पत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 2019 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- प्रश्नगत प्रकरण के संबंध में पुन: अवगत कराना है कि सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2020 एवं सहायक वन संरक्षक/ क्षेत्रीय वन संरक्षक/ क्षेत्रीय वन अधिकारी (प्रारम्भिक) परीक्षा, 2020 एवं भविष्य की परीक्षाओं के लिए समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने तथा सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, संबंधित पदों के अधियाचन, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग, प्रयागराज को भेजना सुनिश्चित करते हुये शासन को भी यथासमय अवगत कराने का कष्ट करें।

संलग्नक- उपरोक्तानुसार । भवदीय,

मुकुल सिंघल
अपर मुख्य सचिव

संख्या-15/20/95(1)-का-4-2020,तददिनांक,

प्रतिलिपि सचिव/ परीक्षा नियंत्रक, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज उनके पत्र संख्या-178/6/ई-1/2019-20, दिनांक 14 नवम्बर, 2019 एवं पत्र संख्या- 29/6ई-1/2019 दिनांक 16 जनवरी, 2020 के संदर्भ में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

राजेश प्रताप सिंह
अनु सचिव

www.bhartiyashasanadesh.org
www.//shasanadesh.up.nic.in

संख्या-3/2019/15/20/95-का-4-2019

प्रेषक,

मुकुल सिंहल,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव/ सचिव,
   उत्तर प्रदेश शासन।
2. समस्त विभागाध्यक्ष/ प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
   उत्तर प्रदेश।

कार्मिक अनुभाग- 4 लखनऊ :: दिनांक :: 25अक्टूबर, 2019

विषय:- लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश को समय से अधियाचन प्रेषित किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक समसंख्यक शासनादेश दिनांक 30.09.1991, 02.01.1996, 27.05.199, 09.08.2007, 29.12.2008, 05.10.2009, 23.11.2009, 28.10.2010, 03.10.2011, 14.03.2012, 18.09.2012, 09.07.2013, 23.10.2013, एवं 01.10.2014, के द्वारा आपसे यह अनुरोध किया गया है कि समय से चयन की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु, सम्पूर्ण सूचनाओं का समावेश करते हुए, संबंधित पदों के अधियाचन 03 वर्ष पूर्व लोक सेवा आयोग को प्रेषित कर दिये जायें।

2- उपर्युक्त के दृष्टिगत, आपसे निम्नवत् अनुरोध करने का मुझे पुन: निदेश हुआ है:-

(1) कार्मिक अनुभाग-4 द्वारा निर्गत किये गये शासनादेश संख्या-15/5/ 2017-का-2017, दिनांक 29 नवम्बर, 2017 एवं समसंख्यक पत्र दिनांक 12 नवम्बर, 2018 के अनुसार निर्देशों का अनुपालन पूर्ण रूप से सुनिश्चित किया जाये।

(2) शासनादेश दिनांक 09.07.2013 में अंकित प्राविधानों के अधीन आगामी 03 वर्षो में घटित होने वाली रिक्तियों की गणना सुनिश्चित करते हुए, सम्मिलित राज्य/प्रवर अधीनस्थ सेवा परीक्षा सहित अन्य समस्त परीक्षाओ/चयनों के सीधी भर्ती के अधियाचन के संबंध में निर्धारित प्रारूप को अद्यावधिक करते संलग्नक के अनुसार परिवर्तित किया जा रहा है। कृपया नवीन प्रारूप पर, अधियाचन लोक सेवा आयोग को ससमय प्रेषित करने का कष्ट करें।

(3) प्रेषित किये जाने वाले अधियाचनों में डी. एफ. एफ., भूतपूर्व सैनिक विकलांगजन, तथा महिलाओं के आरक्षण की स्थिति स्पष्ट करते हुए शासनादेश संख्या- सं0-35/65-03-11-78/99,दिनांक 13.01.2011 के अनुसार विकलांगजन हेतु स्पष्ट चिन्हांकन तथा विकलांगता के प्रकार के साथ-साथ आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये अधिकतम 10 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के संबंध में कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या- 1/2019/4/1/2002/का-2/19 टी0 सी0- II, दिनांक 18.02.2019 एवं शासनादेश संख्या-3/2019/4/1/2002/का-2019 टी0सी0-II, दिनांक 14.03.2019 का भी स्पष्ट उल्लेख किया जाय। उक्त के साथ संबंधित पद की सेवा नियमावली की प्रति (हिन्दी/अंग्रेजी) भी लोक सेवा आयोग को अनिवार्य रूप से प्रेषित की जाए।

www.bhartiyashasanadesh.org
www.shasanadesh.up.nic.in

3- कृपया उपर्युक्त निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

मुकुल सिंहल
अपर मुख्य सचिव

<u>संख्या-3/2019/15/20/95-का-4-2019, तद्दिनांक।</u>

प्रतिलिपि, सचिव, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग,प्रयागराज/अधीनस्थ सेवा चयन आयोग उ0 प्र0 लखनऊ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

आज्ञा से,

शीतला प्रसाद
विशेष सचिव

www.bhartiyashashanadesh.org
www://Shasanadesh.up.nic.in

www.bhartiyashasanadesh.org
www://shasanadesh.up.nic.in

सीधी भर्ती के अधियाचन का प्रारूप

क्र सं		विवरण	टिप्पणी
1		अधियाचन का प्रकार- (सामान्य चयन अथवा विशेष चयन)	
2	(क)	विभाग का नाम	
	(ख)	पद नाम एवं (अधियाचित पद का नाम)	
	(ग)	1. क्या यह पद नया सृजित किया गया है (हां या नहीं)	
		2. क्या यह पदोन्नति/सेवानिवृत्ति/अन्य प्रकार से रिक्त हुआ है\	
3		क्या पद स्थायी/अस्थायी है \	
4		क्या अधियाचित पद आयोग के अधिकार क्षेत्र में है (हां या नहीं)	
5		क्या पद नियमित नियुक्ति का है \	
6		क्या पद की सेवा नियमावली (का विवरण) बनी है (हां/नहीं), यदि नही तो शासन के प्रशासकीय विभाग के कार्यकारी आदेश जिसमें अर्हता, आयु सीमा आदि को निर्दिष्ट किया गया हो।	
7		वेतनबैंड/वेतनमान/ग्रेड-पे/मैटिक्स लेवल	
8		सेवा संवर्ग	
9		नियुक्ति प्राधिकारी का पदनाम	
10		**चयन का आधार:-** (1) (अ) केवल साक्षात्कार (ब) केवल लिखित परीक्षा (स) लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार (जो भी लागू न हो उसे काट दिया जाए)	
		(2) उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-2 संख्या-4/2017/1/1/2017-का-2, दिनांक-31 अगस्त, 2017 चयन का आधार (परिशिष्ट-2 के अनुसार)	
		(3) यदि चयन में अन्य परीक्षा निहित है तो उसका उल्लेख किया जाय।	
11		संवर्ग में कुल सृजित पदों की संख्या-	
12-क		संवर्ग में सृजित रिक्त पदों का श्रेणीवार विवरण:- (आरक्षण की गणना परिशिष्ट-1 तथा 6 के अनुसार)	

क्र0 सं0	श्रेणी	आरक्षण प्रतिशत	कुल सृजित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार विवरण	भरे पद	रिक्त पद	पूर्व में भेजे गये अधियाचित पदों की संख्या (अधियाचित पदों में शामिल किया गया गया है। नही)	अधियाचित पदों की संख्या
1	अनारक्षित-						
2	अनुसूचित जाति	21%					
3	अनुसूचित जनजाति	02%					
4	अन्य पिछड़ा वर्ग	27%					
5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिये-	10%					

		(परिशिष्ट-3 के अनुसार)						
	कुल पदों का योग:-							

12- ख	कुल सृजित पदों के सापेक्ष श्रेणीवार लम्बवत आरक्षण का विवरण:- (परिष्टि 1 के अनुसार)		
	1	अनारक्षित पदों की संख्या:-	
	2	अनुसूचित जाति के पदों की संख्या	
	3	अनुसूचित जनजाति के पदों की संख्या	
	4	अन्य पिछड़ा वर्ग के पदों की संख्या	
	5	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के पदों संख्या (परिशिष्ट-1 व 4 के अनुसार)	
13	**कुल अधियाचित पदों की संख्या:-**		
	1	शासनादेश संख्या-18/1/95/-का-2/95 दिनांक- 20.09.97 एवं अद्यतन संशोधनों के प्राविधानानुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों हेतु आरक्षित पदों की संख्या (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 2 प्रतिशत)।	
	2	समाज के विकलांगता हेतु आरक्षित पदों की संख्या-- (शासनादेशानुसार रिक्तियों का 4 प्रतिशत) (परिशिष्ट-1 तथा 3 के अनुसार):-	
		उपश्रेणी (पद किस विकलांगता के लिए चिन्हित है):-(उत्तर प्रदेश शासन विधायी अनुभाग-1 संख्या-1479/79-वि-1-18-2(क)11-2018 दिनांक 23 जुलाई, 2018 के अनुसार	
		(क) दृष्टिहीनता एवं कम दृष्टिहीनता	
		(ख) बधिर और श्रवण शक्ति में ह्रास	
		(ग) प्रमस्तिष्कीय अंग घात, उपचारित कुष्ठ, बौनापन, एसिड आक्रमण पीडित और मांसपेशीय दुष्पोषण सहित चलन क्रिया सम्बन्धी नि:शक्तता;	
		(घ) स्वपरायणता, बौद्धिक नि:शक्त्ता, विशिष्ट अधिगम नि:शक्तता और मानसिक अस्वस्थता;	
		(ड.) खंड (क) से (घ) के अधीन आने वाले व्यक्तियों में से बहु नि:शक्तता, जिसके अंतर्गत प्रत्येक नि:शक्तता के लिए अभिज्ञानित पदों में बधिर-अंधता सम्मिलित है;	
	3	शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/99-टी.सी.-.2 दिनांक-09.09.1999 के प्राविधानुसार सैन्य नियोजित/भूतपूर्व सैनिक हेतु आरक्षित पदों की संख्या (समूह 'ग' के पदों हेतु रिक्तियों का 05 प्रतिशत के अनुसार)	
	4	शासनादेश संख्या-18/1/95-का-2/99-टी.सी.-2 दिनांक-26.02.1999 आलोक में महिलाओं के लिए 20 प्रतिशत के अनुसार आरक्षित पदों की संख्या:-	
14	शैक्षिक योग्यता (अनिवार्य) तथा अन्य अर्हतायें जो अनिवार्य हों :-		
	(अ)	अनिवार्य अर्हताएं (जिसमें शिक्षा सम्बन्धी अनुभव आदि जैसा नियमावली में निर्धारित हो) (परिशष्ट-5 के अनुसार) (यदि समकक्ष योग्यता है तो उसका उल्लेख किया जाए)	
	(ब)	सेवानियमावली के नियम-8 व 9 के अनुसार अधिमानी अर्हतायें अलग अलग स्पष्ट की जाए, यदि कोई हों	
15	अन्य अनिवार्य योग्यता:-		
	(क)	शारिरिक मापदंड	
	(ख)	शारिरिक दक्षता परीक्षण	

www.bhartiyashasanadesh.org
www.shasanadesh.up.nic.in

	(ग)	टंकण/आशुलिपिक - टंकण (शब्द प्रति मिनट), अन्य कोई अर्हता	
16	आयु सीमा जैसा कि सेवा नियमावली/अ।तन आयु सीमा का निर्धारण नियमावली में विहित हो:-		
	(क)	न्यूनतम	
	(ख)	उच्चतम	
	(ग)	आयु गणना की निर्णायक तिथि केलेंडर वर्ष 1 जुलाई जिस वर्ष पद विज्ञापित किये जाए, के अनुसार	
17	क्या आयु की उच्च या निम्न सीमा को शिथिल किया जा सकता \ (हां/नहीं) यदि हां तो किसके लिए और कितनी सीमा तक (शासनादेश दिनांक-27 अगस्त, 2013 के अनुसार) (परिशिष्ट-7 के अनुसार)		
18	अभ्यर्थी की राष्ट्रीयता		
19	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो		
20	कर्तव्य		
21	क्या सरकारी कर्मचारी पात्र है \ यदि हां तो उनके पक्ष में क्या किसी शर्त को शिथिल किया जायेगा । उन शर्तों को बतायें जो उनके संबंध में शिथिल की जायेगी ।		
22	पद, जिसके लिये अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, के संबंध भारत के किसी न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन तो नहीं है \		
23	कोई अन्य शर्त अथवा अर्हतायें, जो उपर्युक्त बिन्दुओं के अंतर्गत नहीं आती		
24	पद जिसका अधियाचन प्रेषित किया जा रहा है, अग्रेनीत प्रकार का तो नहीं है।		

संलग्नक- (परिशिष्ट- 5,8 व 10 अनुसार):-

1
2
3
4

अधियाचन अधिकारी के हस्ताक्षर
पदनाम-
विभाग

www.bhartiyashasanadesh.org
www://Shasanadesh.up.nic.in

परिशिष्ट :-

1- कार्मिक अनुभाग-**2** के पत्र संख्या - **4/1/2001/का-2-2002** दिनांक- **27-06-2002** में वर्णित सीधी भर्ती के रोस्टर के अनुसार आरक्षित रिक्तियों की गणना की गयी है। राज्याधीन लोक सेवाओं और पदों पर आरक्षण की गणना शासनादेश संख्या- **9/4/2/15/का-2/2015** दिनांक- **28** अगस्त, **2015** के अनुसार "आरक्षित रिक्तियों की गणना करते समय गणित के 'राउंडिंग ऑफ' के सिद्धांत को नही अपनाया जायेगा, वरन केवल पूर्णांकों को ही संज्ञान में लिया जायेगा तथा भिन्न (फ्रैशन) को नजरंदाज (इग्नोर) किया जायोगा।"

2- चयन के आधार के संबंधित शासनादेशानुसार प्रश्नगत पदों पर सीधी भर्ती रीति एवं प्रक्रिया नियमावली **2015** दिनांक **11** मई, **2015** एवं उत्तर पद्रेश शासन कार्मिक अनुभाग-**2** संख्या- **4/2017/1/1/2017-का-2**, दिनांक **31** अगस्त, **2017** द्वारा प्रख्यापित उत्तर प्रदेश अवर स्तरीय पदों पर सीधी भर्ती (साक्षात्कार का बंद किया जाना) नियमावली **2017** के अनुसार लिखित परीक्षा

3- उत्तर प्रदेश लोकसेवा (शारिरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित और भूतपूर्व सैनिकों के लिए (आरक्षण) (संशोधन) अध्यादेश, **2018** दिनांक **23** जुलाई, **2018** के अनुसार।

4- उत्तर प्रदेश शासन कार्मिक अनुभाग-**2** के शासनादेश संख्या-**1/2019/4/1/2002/का-2/19टी0सी0-**।। दिनांक **18** फरवरी, **2019** में सरकारी सेवाओं के नियुक्ति के संबंध में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए अधिकतम **10** प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का निर्णय लिया गया है।

5- शैक्षिक अर्हता में अगर "समकक्ष" का उल्लेख हो तो समकक्षता के संगत शासनादेश की प्रति अधियाचन के साथ संलग्न करें। विज्ञापन की अन्तिम तिथि के बाद जारी समकक्षता के शासनादेश उक्त विज्ञापन पर लागू नही होंगें।

6- यदि पद की रिक्तियां वर्षवार गणना के अनुसार के अनुसार हो तो संकलित कर गणना की जाए।

7- राज्याधीन सेवाओं में कर्मचारियों को उत्तर प्रदेश शासन के कार्मिक विभाग के शासनादेश संख्या- **2-ई0एम0/2001/का-4-201**, दिनांक **27** अगस्त, **2013** के अनुसार अधिकतम आयु सीमा **05** वर्ष की छूट प्रदान की जाए ।

8- राज्याधीन सेवाओं में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किये गये आदेशों, शासनादेशों, जो चयन प्रक्रिया से संबंधित हो, को विभाग स्वंय अपने स्तर से अधियाचन में उल्लेख करें।

9- अधियाचन प्रेषित करने वाले प्राधिकारी का यह दायित्व होगा कि पदों का स्पष्टीकरण भली भांति कर लें ताकि चयनोंपरांत किसी प्रकार की कठिनाई उत्पन्न न हो ।

10- अधियाचन की **02** प्रतियों के साथ पद की सुसंगत सेवा नियमावली (यथा संशोधनों सहित), शासनादेश तथा कार्यालय ज्ञाप की सुस्पष्ट एवं पठनीय छायाप्रति संलग्न कर आयोग को उपलब्ध करायें।

www.bhartiyashasnadesh.org
www.//shasanadesh.up.nic.in